

2022/210

प्रा.नं-१

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवा में,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम शाहपुरा की जमाबन्दी सम्बत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 96, 105 में प्रार्थी का नाम इकनिसिग युव रेकराण दर्ज है। परन्तु खातेदार काई मे मेरा पिता का नाम रेकराण है। अतः खाता दुरुस्ती किये जाने के आदेश करवाने की कृपा करें। और गलतियों के निवेदन दिये गए (पिता का नाम रेकराण रेकराण करवाने की कृपा करना)।

दिनांक:-

(प्रतिक्रिया देनी)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम शाहपुरा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्बत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 96, 105 में प्रार्थी का नाम इकनिसिग युव रेकराण दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न आवेदन व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम इकनिसिग युव रेकराण है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू.अ.नि.0

मि. अ. नि.

पटवारी
पटवारी
हड़तालवाड़ा (भीलवाड़ा)

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा.भू.राज. अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी मि. अ. नि. व भू.अ.नि. मि. अ. नि. एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम शाहपुरा की जमाबन्दी सम्बत् 2074 से 2077 की खाता संख्या 96, 105 में प्रार्थी का नाम इकनिसिग युव रेकराण के बजाय इकनिसिग युव रेकराण किये जाने हेतु अभिशंका की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
शाहपुरा(भीलवाड़ा)

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम शाहपुरा जमाबन्दी सम्बत् 2074-77 खाता संख्या 96, 105 में दर्ज प्रार्थी का नाम इकनिसिग युव रेकराण के स्थान पर इकनिसिग युव रेकराण संशोधन के

134/22
1-6-22



आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा(भील0)

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)